

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

वन्दना त्रिवेदी
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)
अंक 6, सोमवार, 28 फरवरी, 2011/9 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
सामान्य बजट, 2011-12	
श्री प्रणब मुखर्जी	1-49
राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विवरण	
श्री प्रणब मुखर्जी	49-50
वित्त विधेयक, 2011	50

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 28 फरवरी, 2011/9 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वित्त मंत्री जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): आप बजट के बाद बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: बजट शुरू करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: हम बजट के बाद बात करेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सामान्य बजट, 2011-12

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

हम एक असाधारण राजकोषीय वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। भूमंडलीकृत विश्व में तमाम अनिश्चितताओं और तेजी से हो रहे परिवर्तनों के बीच, यह वर्ष हमारे लिए कुछ अवसर और अनेक चुनौतियां लेकर आया। इन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सबके बीच हम राजकोषीय समेकन और उच्च आर्थिक विकास के सुविचारित पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़े हैं।

वर्ष 2010-11 में हमारा विकास तीव्र और व्यापक रहा है। अर्थव्यवस्था संकट-पूर्व के विकास के पथ पर वापस आ गई है। कृषि में जहां फिर से वृद्धि दिखाई दी है, वहीं उद्योग जगत अपनी पूर्व तेजी पर लौट रहा है। सेवा क्षेत्र में लगभग दो अंकों की प्रगति बनी हुई है। राजकोषीय समेकन प्रभावशाली रहा है। इस वर्ष, उन निर्णायक संस्थागत सुधारों में भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी है जिनसे, निकट भविष्य में, दो अंकों की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

हम जहां अनेक चिन्ताजनक क्षेत्रों का निराकरण करने में अच्छी प्रगति हासिल करने में सफल रहे हैं, वहीं कुछ अन्य मामलों में हम बेहतर कर सकते थे। कुल खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.2 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी जो घट कर जनवरी 2011 में आधे से कम 9.3 प्रतिशत पर आ गई है, परंतु यह अब भी चिन्ता का विषय बनी हुई है। मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में, उच्च विकास के मार्ग पर बढ़ते रहने, विकास को अधिक समावेशी बनाने तथा अपनी संस्थाओं, सार्वजनिक वितरण और शासन पद्धतियों में सुधार लाने की हमारी तीन प्राथमिकताएं प्रासंगिक बनी हुई हैं। ये प्राथमिकताएं कुछ समय तक भारतीय नीति-निर्माताओं की प्रतिबद्धताएं बनी रहेंगी। तथापि, इन चुनौतियों के कुछ आयाम ऐसे हैं, जिन पर अल्पावधि में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

यद्यपि, हमने संकट-पूर्व की विकास की गति पुनः पकड़ ली है, फिर भी मांग और आपूर्ति पक्ष में वृद्धि की संरचना में तेलमेल बैठाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि निजी खपत के साथ-साथ, निजी निवेश फिर से आता रहे और यह शीघ्रातिशीघ्र संकट-पूर्व की वृद्धि दरों के अनुरूप हो। इसके लिए निजी उद्यमों हेतु संसाधनों की गुंजाइश को बढ़ाने हेतु, दृढ़तर राजकोषीय समेकन और कुछ नीतिगत अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता है। हमें बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कृषि जिनसों की आपूर्ति में भी सुधार लाना होगा। इन दोनों मुद्दों पर, दृढ़संकल्प उपायों से मुद्रास्फीति प्रबन्धन संबंधी ढांचागत चिन्ताओं का निराकरण करने में मदद मिलेगी। इससे सतत उच्च वृद्धि हेतु एक अधिक स्थिर वृहत आर्थिक माहौल भी सुनिश्चित हो सकेगा।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है जिससे विकास प्रक्रिया को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जा सके। इसका प्रभाव हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई गतिशीलता में दिखायी दे रहा है। इससे भारत को वैश्विक आर्थिक मंदी के दलदल से तेजी से बाहर निकलने में मदद की है। फिर भी, अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है - विशेषकर ग्रामीण भारत में। हमें पर्यावरण संबंधी वैध सरोकारों के आवश्यक विकास की जरूरतों के साथ तालमेल बैठाना होगा। इन सबसे ऊपर, युवा भारत की 'बढ़ती हुई आकांक्षाओं की चुनौती' है।

इन चिन्ताओं को दूर करने की दिशा में, मुझे संसाधनों की उपलब्धता कम से कम मध्यावधि में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखाई देती है। तथापि, कार्यान्वयन की खामियां, लोक कार्यक्रमों से धन का अपव्यय और हमारे परिणामों की गुणवत्ता गम्भीर चुनौतियां हैं।

पिछले कुछ महीनों की कतिपय घटनाओं से शायद शासन में विपथन और सार्वजनिक जवाबदेही में कमी की छवि बनी होगी। सरकार व्यापक लोक हित में इनमें से कुछ घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विशेष चिन्ताओं को दूर करने और विधि सम्मत शासन बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध है, फिर भी ऐसी छवि बनना ठीक नहीं है। ये घटनाक्रम हमारे लिए हमारे नियामक मानकों और प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने का अवसर प्रदान करते हैं। भ्रष्टाचार की समस्या का सामना हमें सामूहिक रूप से करना होगा।

एक जटिल और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में, सरकार सम्पूर्ण ज्ञान की एकमात्र स्वामी होने का दावा नहीं कर सकती। वास्तव में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसे सदन के दोनों पक्षों के सहयोगियों से प्राप्त जानकारियों का लाभ मिलता है। व्यापक राष्ट्रीय हित में उन्हें लोक नीतियों को प्रभावित करने में अपने विचारों और विशेषज्ञता का लाभ बांटना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में, अच्छे परिणाम केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों और कुछ अनुकूल वैदेशिक घटनाक्रमों पर निर्भर करते हैं।

मैं, 2011-12 के बजट को भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबन्धन प्रणाली दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखता हूँ। हम कराधान, व्यापार और टैरिफों तथा सामाजिक अंतरणों को सरल बनाने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखने, विवेकाधिकार और

नौकरशाही के विलम्बों से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय कर रहे हैं। इससे एक नई, जीवन्त और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

कई बार सबसे बड़े सुधार वे नहीं होते, जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं, बस वे होते हैं जो आम आदमी के दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले शासन के क्रियाकलापों से सम्बन्धित होते हैं। इस वर्ष का बजट तैयार करते समय, मैंने इस तथ्य को पूरी तरह अपने जेहन में रखा है। मैं अपने प्रयास में माननीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भरपूर समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं, अब, अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त सिंहावलोकन से आरम्भ करूंगा।

I. अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

गत शुक्रवार को, मैंने सदन के पटल पर 2010-11 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले 12 महीनों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 2010-11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वस्तुतः 8.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। 2010-11 में, कृषि में 5.4 प्रतिशत, उद्योग में 8.1 प्रतिशत और सेवाओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। ये सभी सेक्टर विकास के सुदृढीकरण में योगदान कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अर्थव्यवस्था ने वैदेशिक और घरेलू दोनों झटकों से उबरने में असाधारण समुत्थान शक्ति दर्शायी है।

इस वर्ष हमारी मुख्य चिंता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी रही है। मुद्रास्फीति दो अलग-अलग चरणों में दिखाई पड़ी है। वर्ष के आरंभ में, कुछ अनाजों, चीनी और दालों में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च रही। वर्ष की दूसरी छमाही में, जब इन वस्तुओं की कीमतें कम हुईं और मुद्रास्फीति की ऋणात्मक दरें भी दर्ज हुईं तो प्याज, दूध, कुक्कुट एवं कुछ सब्जियों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ गया। हाल में थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है और हमें इनके निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाना पड़ा है।

अधिकांश खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आने के बावजूद, उपभोक्ताओं को कीमतों की मौसमी गिरावट, जो सामान्यतः शीतकालीन महीनों में दिखाई पड़ती है का फायदा नहीं मिला। इन घटनाक्रमों से वितरण और विपणन प्रणालियों में खामियों का पता चला। ये खामियां बढ़ते आय

स्तरों से इन खाद्य वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण बढ़ती जा रही हैं। थोक और खुदरा कीमतों के बीच तथा देश के अलग-अलग भागों के बाजारों में अत्यधिक अंतर कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसा किसानों को मिलने वाली उचित कीमतों और उपभोक्ताओं को मिलने वाली प्रतिस्पर्धी कीमतों के खर्च पर हो रहा है।

राजकोषीय नीति का समर्थन करते हुए, 2010-11 में उठाए गए मौद्रिक नीतिगत कदमों से मुख्य (कोर) मुद्रा स्फीति को काबू में रखने में सफलता मिली है। चूंकि मौद्रिक नीति के पारेषण में समय लगेगा, अतः मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही किए गए उपायों से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद करता हूँ।

मौजूदा वर्ष में भारत के वैदेशिक क्षेत्र संबंधी घटनाक्रम उत्साहजनक रहे हैं। यहां तक कि विकसित देशों में भी सुधार धीरे-धीरे हो रहा है, हमारे व्यापार निष्पादन में सुधार हुआ है। अप्रैल-जनवरी, 2010-11 के दौरान, विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले, निर्यात 29.4 प्रतिशत बढ़कर 184.6 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 273.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। चालू खाता घाटा 2009-10 के स्तर के आसपास है और इसके वित्तपोषण की संरचना के कारण कुछ चिंताएं हुई हैं।

वैश्वीकृत विश्व में नीति निर्माण करते समय संभावित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखना पड़ता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे निवेशकों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं की अर्थव्यवस्था की वृहत आर्थिक संभावनाओं में समाभिरूपता हो। इस पृष्ठभूमि में, 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था के ± 0.25 प्रतिशत के बाह्य बैंड के साथ 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा है। मैं अगले वर्ष औसतन मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा कम होने की उम्मीद करता हूँ जिनमें उच्च घरेलू बचत दर और स्थिर पूंजीगत प्रवाहों से बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। विगत वर्ष, की भांति, मैं इस वर्ष भी इंद्र भगवान की समय पर कृपा चाहता हूँ जिससे प्रचुर मात्रा में मॉनसूनी वर्षा हो और इसी तरह मैं देवी लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा विचार है कि किसी के जोखिमों के प्रति ध्यान बंटाने की यह एक अच्छी कार्यनीति है।

II. सतत विकास

पिछले बजट में, मैंने 2008-09 और 2009-10 के

दौरान भारत में आर्थिक मंदी के संबंध में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने हेतु दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज को वापस लेना आरम्भ किया था। इस वर्ष, मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ गया हूँ। मुझे विश्वास है कि वर्तमान पुनरुत्थान के एक भाग को भविष्य की समुत्थान-शक्ति के निर्माण के लिए अलग रखा जाना चाहिए। वास्तव में एक प्रतिचक्रिय राजकोषीय नीति विदेशी झटकों और स्थानीय घरेलू घटकों के प्रति हमारा सर्वोत्तम बीमा होती है।

राजकोषीय समेकन

केन्द्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफ.आर.बी.एम. अधिनियम) और राज्य स्तर के तदनुरूपी अधिनियमों से यह पता चलता है कि सांविधिक राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का अर्थव्यवस्था के वृहत आर्थिक प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केन्द्र सरकार इस वर्ष एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, में एक संशोधन लाएगी जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय खाका तैयार किया जाएगा।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की एक रूपरेखा तैयार की है जिसमें उनसे 2014-15 तक हर हालत में राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने की अपेक्षा की गयी है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि इस अवधि के दौरान स.घ.उ. के 24.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य हासिल किया जाए। राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इन सिफारिशों के अनुरूप अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियमों में संशोधन करें अथवा इन्हें अधिनियमित करें।

सरकार वित्त मंत्रालय में एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में लगी हुई है। एक मिडल कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है। अगले कदम के रूप में, मैं आगामी वर्ष में भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

कर सुधार

प्रत्यक्ष-कर संहिता (डी.टी.सी.) का प्रारंभ और प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से एक निर्णायक मोड़ आएगा। इन सुधारों के फलस्वरूप, दरों में संतुलन, विधियों का सरलीकरण और बेहतर अनुपालन होगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, प्रत्यक्ष कर

[श्री प्रणव मुखर्जी]

संहिता विधेयक संसद में अगस्त, 2010 में प्रस्तुत किया गया था। स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात हम 2011-12 में इस संहिता को इसके अधिनियम के लिए अंतिम रूप दे सकेंगे। यह सहभागिता विधान में अग्रणी प्रयास रहा है। इस संहिता के 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है जिससे करदाताओं, व्यवसायियों और प्रशासकों को इस विधान को पूरी तरह समझने और संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित करने में आसानी होगी।

प्रत्यक्ष कर संहिता से भिन्न, वस्तु एवं सेवा कर पर निर्णय राज्यों की सहमति से लिए जाने हैं क्योंकि पिछले चार वर्षों में राज्यों के साथ हमारी बातचीत में पर्याप्त प्रगति हुई है। मतभेद के क्षेत्र कम हुए हैं। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के एक उपाय के रूप में, मैं संसद के इस सत्र में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। केन्द्र और राज्य वस्तु एवं सेवा कर के लिए मॉडल विधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

वस्तु एवं सेवा कर को प्रारंभ करने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपायों में टोस आई.टी. अवसंरचना की स्थापना करना भी शामिल है। हमने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजीकरण, प्रतिलाभ तथा भुगतानों की महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के अन्तिम चरण में हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता में शामिल करने हेतु प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में चुना गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में आई.टी. आधार की स्थापना तथा उसका संचालन करेगा। जून, 2011 तक, एन.एस.डी.एल. सम्पूर्ण देश में इसके लागू होने से पहले ग्यारह राज्यों के सहयोग से एक पायलट पोर्टल की स्थापना करेगा।

व्यय सुधार

लोक व्यय का प्रभावी प्रबन्धन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या खर्च करते हैं, बल्कि हम कैसे खर्च करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। व्यय, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन परक होगा। आयोजना, आयोजना-भिन्न राजस्व तथा पूंजी व्यय के मौजूदा वर्गीकरण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि

हर कोई हमारे विकास हेतु सेवा क्षेत्र और ज्ञान अर्थव्यवस्था की महत्ता को मानता है। इन मुद्दों की जांच करने हेतु योजना आयोग द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

सब्सिडी

2010-11 के दौरान, पोषण आधारित सब्सिडी नीति को, यूरिया को छोड़कर, सभी उर्वरकों के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, सभी हितधारकों ने इस नीति का स्वागत किया है, और उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। यूरिया को शामिल करने के लिए पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था विस्तारित करने के प्रति सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

सरकार, विशेष कर, ईंधन तथा खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी को वहनीय कीमतों पर इन बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। सब्सिडी प्राप्त ईंधन की भारी मात्रा लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती है और सब्सिडी प्राप्त मिट्टी का तेल भारी मात्रा में अन्यत्र चला जाता है। हाल में घटित दुखद घटना से यह प्रकट हुआ है। हमने काफी अर्से से सम्बद्ध लाभार्थियों हेतु सब्सिडियों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया है। हमारी चर्चा से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मिट्टी के तेल तथा उर्वरक दोनों के सम्बन्ध में बेहतर-क्षमता, किफायती लागत एवं बेहतर वितरण का सुनिश्चित करने हेतु, सरकार चरणबद्ध तरीके से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में अग्रसर होगी।

श्री नन्दन नीलेकानी की अध्यक्षता में मिट्टी का तेल, एल.पी.जी. तथा उर्वरकों के सम्बन्ध में सब्सिडी सीधे देने की प्रस्तावित प्रणाली के तौर तरीकों को तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल की अन्तरिम रिपोर्ट जून 2011 तक प्राप्त होने की आशा है। यह प्रणाली मार्च 2012 तक प्रभावी हो जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोगों का स्वामित्व

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व का आधार व्यापक बनाने के सरकार के कार्यक्रम को काफी अच्छा रेटिंग मिला है। केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्देश्यों की छह पब्लिक इश्यू ने मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 50 लाख खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया है।

सरकार 2010-11 में, 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, विनिवेश से लगभग 22,144 करोड़ रुपए जुटाएगी। कर-भिन्न राजस्व में आशा से अधिक वसूली हो जाने से मौजूदा वर्ष के लिए योजना बनाए गए विनिवेश मुद्दों में से कुछ की नए सिरे से योजना बनानी पड़ी। मैं, 2011-12 में 40,000 करोड़ रुपए जुटाकर विनिवेश की इस गति को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। यहां मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सरकार सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के स्वामित्व तथा प्रबन्धन नियंत्रण को कम से कम 51 प्रतिशत पर बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है, जैसा कि मेरे 2009-10 के बजट भाषण में कहा गया था।

निवेश माहौल

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

एफ.डी.आई. नीति को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए पूर्व के सभी विनियमों तथा दिशा निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में संकलित किया गया है और जिसकी प्रत्येक छह मास में समीक्षा होती है। पिछली समीक्षा सितम्बर 2010 में की गयी थी। यह समीक्षा सुस्पष्टता बढ़ाने तथा विदेशी निवेशकों के प्रति हमारी विदेशी प्रत्यक्ष नीति का पूर्वानुमान लगाने के विशिष्ट आशय से की गयी थी। एफ.डी.आई. नीति को और उदार बनाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

वर्तमान में, केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाते सेबी के पास पंजीकृत होते हैं और एन.आर.आई. को म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश की अनुमति दी जाती है। पोर्टफोलियों निवेश माध्यम को उदार बनाने हेतु, सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को इक्विटी योजनाओं के लिए के.वाई.सी. आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान स्वीकार करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। इससे भारतीय म्यूचुअल फंड तक सीधी पहुंच बढ़ाने और भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों की श्रेणी को व्यापक बनाने में सक्षम होंगे।

अवसंरचना क्षेत्र में निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में पांच वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले कम्पनियों द्वारा जारी कारपोरेट बांडों में निवेश की एफ.आई.आई. सीमा को 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त सीमा से बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। इससे एफ.आई.आई. के लिए कारपोरेट बांडों में निवेश हेतु उपलब्ध कुल सीमा बढ़कर

40 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगी। चूंकि अधिकांश अवसंरचना सम्बन्धी कम्पनियां एस.पी.वी. के स्वरूप में नियोजित हैं, एफ.आई.आई. को भी न्यूनतम तीन वर्षों की समयबंदी सहित असूचीबद्ध बांडों में निवेश की अनुमति होगी। तथापि, एफ.आई.आई. को समयबंदी के दौरान स्वयं आपस में व्यापार करने की अनुमति होगी।

वित्तीय क्षेत्र विधायी पहल

1990 के दशक के प्रारम्भ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम निकले हैं। संग्रह सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, मैं वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित विधान लाने का प्रस्ताव करता हूँ:

- (i) बीमा निधि (संशोधन) विधेयक, 2008;
- (ii) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009;
- (iii) संशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 में पहली बार प्रस्तुत;
- (iv) बैंकिंग विधि संशोधन विधेयक, 2011;
- (v) आड़ती और प्राप्तियों का समनुदेशन विधेयक;
- (vi) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009; और
- (vii) आर.डी.बी.एफ.आई. अधिनियम, 1993 और एस.ए. आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 में संशोधन हेतु विधेयक।

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के बारे में विचार करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2010 में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें आम लोगों से जानकारी मांगी गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। मैं, इस बजट सत्र में, इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त विधायी संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले बैंकिंग लाइसेंसों हेतु दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुनःपूँजीकरण

वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र

[श्री प्रणब मुखर्जी]

के बैंकों में 20,157 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करा रही है ताकि जोखिम भारत, पूंजी आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) को 8 प्रतिशत पर रखा जा सके तथा कुछ बैंकों में सरकारी इक्विटी को बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जा सके। मैं, 2011-12 हेतु 6,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टीयर-1 सी.आर.ए.आर. रखने में सक्षम हों।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूंजीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के भाग के रूप में, इस वर्ष इन बैंकों को 350 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गयी थी। मैं 2011-12 के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत पर सी.आर.ए.आर. रखने में समर्थ हो।

माइक्रो वित्त संस्थाएं

माइक्रो वित्त संस्थाएं (एम.एफ.आई.) वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरे हैं। अपेक्षाकृत छोटी माइक्रो वित्त संस्थाओं को इक्विटी तथा अर्द्ध इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु समर्पित निधि के सृजन से विकास बनाए रखने तथा प्रचालनों में मानदण्ड एवं प्रभावकारिता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं, इस वर्ष सिडबी के साथ 100 करोड़ रुपए की "भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि" का सृजन करने का प्रस्ताव करता हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा इन स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के संवर्धन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि से, मैं महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूँ। भारत में माइक्रो वित्तक्षेत्र से सम्बन्ध मुद्दों की जांच करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, लघु उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क लाने पर विचार कर रही है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) बैंक निधियों को ग्रामीण अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु लगाने का एक प्रमुख माध्यम है। यह राज्य सरकारों के बीच लोकप्रिय है। मैं आर.आई.डी.एफ. XVII की मूल निधि को मौजूदा वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के वर्तमान

स्तर से बढ़ाकर 2011-12 में 18,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह अतिरिक्त आवंटन भाण्डागार सुविधाओं के सृजन हेतु समर्पित होगा।

माइक्रो-लघु एवं मध्यम उद्यम

माइक्रो तथा लघु उद्यम साम्य तथा समावेशी विकास के उद्देश्यों को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्ष सिडबी को 4,000 करोड़ रुपए इन उद्यमों हेतु बैंकों द्वारा वृद्धिशील उधार के पुनः वित्त पोषण हेतु प्रदान किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए मैं सिडबी को इसी प्रयोजनार्थ ऐसे बैंकों को 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र के उधार लक्ष्यों में गिरावट दर्ज की थी।

हथकरघा बुनकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप, उनमें से अनेक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को जो वित्तीय दृष्टि से अक्षम हो चुकी हैं, को ऋण नहीं चुका पाए हैं। मैं, नाबार्ड को इन सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने हेतु 3,000 करोड़ रुपए चरणों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। इस पहल से 15,000 सहकारी सोसाइटियां तथा लगभग 3 लाख हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे। वस्त्र मंत्रालय इस योजना का ब्यौरा योजना आयोग से परामर्श करके तैयार करेगा।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बकाया ऋण जो पिछले वर्ष की समाप्ति पर कुल प्राथमिक क्षेत्र उधार का 13 प्रतिशत थे, मौजूदा वर्ष में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गए हैं। मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आदेश दिए हैं कि वे जितनी जल्दी संभव हो 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें।

आवास क्षेत्र वित्त

आवास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु, मैं आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता की मौजूदा योजना को उस स्थिति में 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण तक बढ़ाकर उधार बना रहा हूँ जहां मकान की लागत क्रमशः 10 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़कर 25 लाख रुपए से अधिक न हो।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय सम्पत्तियों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण, मैं प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत मौजूदा आवास ऋण सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर लक्षित समूहों के लिए आवास वित्त पोषण की व्यवस्था करने हेतु, मैं ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत इस प्रावधान को 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एल.आई.जी. परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे के समाधान हेतु, मैं राजीव आवास योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूँ। यह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एल.आई.जी. परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करेगी तथा उनकी ऋण क्षमता को बढ़ाएगी।

ऋण मामलों में धोखाधड़ी, जिनमें एक ही अचल सम्पत्ति पर विभिन्न बैंकों से एक से अधिक बार ऋण देना शामिल है, को रोकने के लिए, सरकार ने एस.ए.आर. एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना को सुसाध्य बनाया है। यह रजिस्ट्री 31 मार्च, 2011 तक काम करने लगेगी।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना की है। यह वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों और विनियमों का पुनर्लेखन और सुप्रवाहीकरण करेगा और उन्हें आधुनिक वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएगा। यह आयोग 24 महीनों में अपना कार्य पूरा करेगा।

संसद में 2009 में प्रस्तुत कंपनी विधेयक संसदीय स्थाई समिति से प्राप्त हो चुका है। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा सत्र में लोक सभा में पेश किया जाएगा।

कृषि

कृषि का विकास हमारी विकास कार्यनीति का केंद्र बिन्दु है। चालू वर्ष के दौरान किए गए उपायों ने कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण कार्यकलापों में निजी निवेश आकर्षित करना शुरू किया है। इस प्रक्रिया को और गहन किया जाना है।

2010-11 के बजट में, मैंने कृषि उत्पादन, कृषि उपज की बर्बादी में कमी, किसानों को ऋण सहायता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देने को समाहित करते

हुए, एक चार-स्तरीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप मिलने शुरू हो गए हैं परन्तु हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था में अन्य मुद्दे भी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य मूल्यों में हाल की तेजी फलों और सब्जियों, दूध, मांस, कुक्कट, अंडे और मछली, जैसी वस्तुओं जो प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक समूह का 70 प्रतिशत बनता है, के मूल्यों में वृद्धि की वजह से थी। इस वर्ष मेरा ध्यान वस्तुओं के लिए उत्पादन और वितरण की बाधाओं को दूर करने पर केन्द्रित रहेगा। मैं जल्दी शुरुआत के लिए इस समय चल रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन इन योजनाओं के लिए आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल आवंटन 2010-11 में 6,755 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2011-12 में 7,860 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

पूर्व क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाना

पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति आने को है। इस क्षेत्र की संभाव्यता को साकार करने के लिए, पिछले वर्ष का कार्यक्रम 2011-12 में जारी रहेगा और इस निमित्त 400 करोड़ रुपए का और आवंटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करना है।

वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास

दलहन पर सरकार की पहल की किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष दालों का उत्पादन 165 लाख टन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 147 लाख टन हुआ था। इन लाभों में और बढ़ोत्तरी करते हुए, हमें अगले तीन वर्षों में, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं बाजार संपर्कों को मजबूत करने के लिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ऑयल पाम का संवर्धन

खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन मांग का केवल लगभग 50 प्रतिशत ही पूरा हो पाता है। आपूर्ति की इस कमी को आयातों से पूरा किया जाता है जो हमारी आवश्यकता की मात्रा के कारण प्रायः उच्च मूल्यों पर किए जाते हैं।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हमारे हाल के उपायों और अच्छी वर्षा होने से, तिलहन का उत्पादन, 2009-10 में 249 लाख टन की तुलना में, 2010-11 में 278 लाख टन होने की संभावना है। खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए हमें ऑयल पाम पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यह सर्वाधिक सक्षम तिलहनी फसलों में एक है। मैं, किसानों को बाजारों के साथ जोड़कर, ऑयल पाम पौध रोपण के अधीन 60,000 हेक्टेयर लाने हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्यक्रम से पांच वर्षों में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल वार्षिक रूप से प्राप्त होगा।

सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम

सब्जियों की बढ़ती हुई मांग को उत्पादकता और बाजार सम्पर्कों में जबर्दस्त वृद्धि करके पूरा किया जाना है। क्वालिटी सब्जियां प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु एक सक्षम आपूर्ति शृंखला स्थापित करनी होगी, मैं, किसानों के लिए अधिक उत्पादन और आय के लाभकारी विचार को कार्यरूप देने के लिए सब्जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, 300 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। आरंभ में, यह कार्यक्रम प्रमुख शहरी केन्द्रों के निकट शुरू किया जाएगा।

पोषक अनाज

हम जहां सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करते हैं, वहीं हमें संतुलित पोषाहार को भी बढ़ावा देना चाहिए। बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज अत्यंत पौष्टिक हैं और ये अनेक औषधीय गुणों के कारण जाने जाते हैं। तथापि, इन पोषक अनाजों की उपलब्धता और खपत कम है और हाल के वर्षों में इसमें निरन्तर कमी आई है। इन अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने, उनकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और उनसे स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इस पहल से देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले दस लाख किसानों को बाजार सम्बद्ध उत्पादन सहायता उपलब्ध होगी। यह कार्यक्रम लगभग 25,000 ग्रामों को शामिल करते हुए 1000 सुसम्बद्ध प्रखंडों में आरंभ किया जाएगा। इसमें पोषाहार संबंधी सुरक्षा में सुधार लाने और पशुओं के लिए दाना और चारा आपूर्ति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन

पशु जन्य प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों की खपत में हाल ही में वृद्धि हुई है, जिसमें मांग उत्पादन की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। 2011-12 में 300 करोड़ रुपए के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन आरम्भ किया जा रहा है। इसमें चुनिंदा प्रखंडों में पशुधन विकास, डेयरी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए पशु आधारित प्रोटीन उत्पादन गतिविधियां आरंभ की जाएंगी।

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम

दूध के सतत उत्पादन के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। सम्पूर्ण वर्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकियों के व्यापक संवर्धन के जरिए चारे के उत्पादन में तेजी लाना आवश्यक है। मैं, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 25,000 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे।

माननीय सदस्य इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि इन नई पहलों को 300 करोड़ रुपए के आवंटन से क्यों शुरू किया जा रहा है। वास्तव में, संख्या 3 मेरी शुभ संख्या है।

राष्ट्रीय सतत कृषि उत्पादन मिशन

जहां खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए कृषि उपज को अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, वहीं हमें कृषि उत्पादकता को दीर्घकाल तक बनाए रखना है। कई कारकों की वजह से मृदा उर्वरता से गिरावट आयी है। फसल के अवशेषों को हटाए जाने और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से तथा मिथ्या कीमतों की वजह से मृदा के उपजाऊपन में कमी और जल-प्रदूषण हुआ है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार का जैविक कृषि पद्धतियां, आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ परम्परागत कृषि कार्य जैसे हरी खाद डालना, जैववैज्ञानिक कीट नियंत्रण और खर-पतवार निवारण प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

कृषि ऋण

अपनी भूमि से सर्वाधिक लाभ प्राप्ति के लिए, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की

आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में बैंक कृषि ऋण प्रवाह के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निरंतर करते रहे हैं। मैं, किसानों को इस वर्ष के 3,75,000 करोड़ रुपए के ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 2011-12 में 4,75,000 करोड़ रुपए कर रहा हूँ। बैंकों से कहा गया है कि कृषि के लिए सीधा उधार और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने की गति में तेजी लाएं।

किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज की दर से अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता योजना 2011-12 के दौरान जारी रहेगी। पिछले बजट में, मैंने उन किसानों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान की थी, जिन्होंने अपनी फसल ऋण की वापसी समय पर की थी। इस योजना की प्रतिक्रिया अच्छी रही। इन किसानों को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मैं 2011-12 में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार, ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

कृषि ऋण के प्रवाह हेतु वर्धित लक्ष्य को देखते हुए, मैं सरकार की इक्विटी के रूप में चरणबद्ध तरीके से 3,000 करोड़ रुपए लगा कर नाबार्ड के पूंजी आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे इसकी प्रदत्त पूंजी बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पावधिक फसल ऋणों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त पोषण कर सके, इसके हेतु, मैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधार की कमी से 2011-12 के लिए नाबार्ड की अल्पावधिक ग्रामीण ऋण निधि में 10,000 करोड़ रुपए का अंशदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मेगा फूड पार्क

सब्जियों और फलों के बढ़ते उत्पादन के बावजूद इनकी उपलब्धता खुदरा क्षेत्र में कई अड़चनों की वजह से अपर्याप्त हैं। भारत में फल और सब्जी उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन अवसंरचना की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए ग्यारहवीं योजना में 30 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। अब तक, 15 ऐसे पार्कों को मंजूरी दी गई है। 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

भंडारण क्षमता और कोल्ड स्टोरेज शृंखला

2008 से 2010 के वर्षों में खाद्यान्न अधिप्राप्ति के अत्यधिक उच्च स्तर देखे गए। 1 जनवरी 2011 को, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न भंडार 470 लाख मीट्रिक टन हो गया था जो 1 जनवरी, 2007 के 174 लाख मीट्रिक टन की अपेक्षा में 2.7 गुना अधिक है। इतनी बड़ी मात्रा को रखने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निजी उद्यमियों और भंडागारण निगमों के जरिए 150 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता के सृजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। लोक उद्यमी गारंटी (पेग) योजना के तहत, आधुनिक खतियों (साइलो) के जरिए, 20 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया गया है। जहां हम मार्च, 2011 तक मौजूदा मंजूरी के आधार पर लगभग 2.6 लाख टन की क्षमता बढ़ा लेंगे, वहां मार्च, 2012 तक अतिरिक्त क्षमता बढ़कर 40 लाख टन की हो जाएगी। वर्ष 2011-12 के दौरान, ग्रामीण गोदाम योजना के तहत, अन्य 24 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का सृजन कर लिया गया है।

कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश तेजी पकड़ रहा है। इस वर्ष 1.4 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाली 24 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की 107 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब से इस क्षेत्र में निवेश जुटाने के लिए, आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना के लिए उपर्युक्त होगा। कोल्ड स्टोरेज शृंखलाओं और फसल पश्च भंडारण को अवसंरचना उपक्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

कृषि उपज-विपणन अधिनियम

सब्जियों और फलों में मुद्रास्फीति की हाल की घटना ने हमारी आपूर्ति शृंखलाओं में गम्भीर खामियां उजागर की हैं। सरकारी विनियमित मंडियां कभी-कभी खुदरा विक्रेताओं को उनके उद्यमों के खाद्य किसानों को एकीकृत होने से रोकती है। राज्य सरकारों के लिए कृषि उपज विपणन अधिनियम की समीक्षा करने और फिर से बने अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

अवसंरचना और उद्योग

हमारे विकास की गति में सुधार लाने में अवसंरचना का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011-12 के लिए, अवसंरचना क्षेत्र हेतु 2,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के आवंटन की अपेक्षा 23.3 प्रतिशत अधिक है। यह सकल बजटीय सहायता व्यय का 48.5 प्रतिशत है।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की आस्तियों के निर्माण हेतु सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के साथ हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की पहचान करने, परिकल्पना तैयार करने, ढांचा तैयार करने और प्रबंधन में लोक पदाधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया है। हमारा यह प्रयास है कि हम एक समेकित नीति तैयार करें जिनका उपयोग केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी निजी भागीदारियों के और विकास में किया जा सके।

अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की स्थापना की है। 31 मार्च, 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2012 तक 25,000 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। बजट 2009-10 में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है और सात परियोजनाओं को 1500 करोड़ रुपए के ऋण से मंजूरी दी गई है। 2011-12 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दे दी जाएगी।

रेल, पत्तनों, आवास और राजमार्ग विकास में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं वर्ष 2011-12 में विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी किए जाने वाले 30,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांडों की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 10,000 करोड़ रुपए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 10,000 करोड़ रुपए, हुडको के 5,000 करोड़ रुपए तथा पत्तनों के 5,000 करोड़ रुपए के बांड शामिल हैं।

अवसंरचना वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों के रूप में विशेष साधन सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अपने भाषण के भाग-ख में इस पर चर्चा करूंगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

सकल घरेलू उत्पाद की अनवरत वृद्धि और युवा पीढ़ी के लिए उत्पादक रोजगार हेतु, यह आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दस वर्षों की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार विनिर्माण नीति लाएगी जो कि स्व-विनियमन के जरिए अनुपालन भार में कमी लाएगी और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहायक होगी।

प्राकृतिक संसाधन की प्रापण नीति एवं आवंटन, कीमत निर्धारण एवं उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। इनकी सिफारिशें तीन महीनों में मिल जाएंगी।

अवसंरचना और खनन से जुड़े विभागों सहित विविध विभागीय गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के समाधान से संबंधित सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु, एक मंत्रिदल गठित किया गया है। यह दल मौजूदा संविधियों नियमों, विनियमनों और दिशा-निर्देशों में बदलावों का सुझाव देगा और अपनी सिफारिशें समय-बद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा।

भारतीय आटोमोबाइल बाजार विश्व में दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है और इसने इस वर्ष लगभग 30 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर दर्शायी है। पूरे विश्व में, हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहे हैं। स्वच्छ और साफ सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराने के लिए, सभी पण्यधारकों के सहयोग से नेशनल हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन शुरू किया जाएगा।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत 15,260 आधुनिक लो फ्लोर तथा सेमी-लो फ्लोर बसों के वित्तपोषण, ने यात्रियों की आरामदेही के साथ-साथ पूरे भारत में शहरी परिवहन की तस्वीर बदल दी है। वर्ष 2011-12 में, दिल्ली मेट्रो का चरण-III तथा मुंबई मेट्रो की लाईन-III को शुरू करने का प्रस्ताव है। बेंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नई की चल रही मेट्रो परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश, पूंजी प्रधान होता है और अधिक जोखिम भरा माना जाता है। उर्वरक उत्पादन में

अवसंरचनागत उप क्षेत्र के रूप में पूंजी निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव है।

निर्यात

हमारी निर्यात प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में सुधार को चिन्हित करने और उसे प्राप्त करने के उपाय सुझाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा गठित लेनदेन लागत संबंधी कार्यबल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्य बल द्वारा दिए गए इक्कीस सुझाव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। शेष दो पर कार्रवाई अगले दो महीनों में की जाएगी। इससे लेनदेन लागत में लगभग 2,100 करोड़ रुपए की कमी आएगी।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कार्गो की शीघ्र निकासी करने तथा सीमा शुल्क प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, मैं सीमा शुल्क में स्व-निर्धारण की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके तहत, आयातक और निर्यातक ई.डी.आई. प्रणाली में अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करते समय अपनी शुल्क संबंधी देयताओं का स्वयं निर्धारण करेंगे। विभाग एक चुनिंदा प्रणाली प्रेरक आधार पर ऐसे निर्धारणों का सत्यापन करेगा।

वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त कर से संबंधित वापसियों की मंजूरी में बहुत कठिनाइयां आती रही हैं। मैं, एक अधिक सरलीकृत तथा शीघ्र तरीके से शुल्क वापसी की तर्ज पर इन करों की वापसी हेतु जल्दी ही एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। एक नई स्कीम भी शुरू की जा रही है जिसमें विशेष आर्थिक जोन (सेज) में कार्यरत इकाइयां जोन के भीतर पूरी तरह उपभोग में लाई गई सेवाओं की कर-मुक्त रसीद तथा उनकी वापसियां आसान तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

मेगा क्लस्टरों में रोजगार और निर्यात की भारी संभावना है। मैं, चमड़े के उत्पादों के विकास के लिए यह मेगा क्लस्टर स्कीम लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2011-12 में सात मेगा लेदर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मैं, हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर के विकास हेतु जोधपुर को शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

काला धन

काला धन बनाना और उसका इस्तेमाल करना गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या से कारगर तरीके से

निपटने के लिए, सरकार ने एक पांच सूत्री कार्ययोजना लागू की है जिसमें शामिल हैं - 'काले धन' के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में साथ देना; उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार करना; अनुचित तरीकों से अर्जित निधियों से निपटने के लिए संस्थाएं स्थापित करना; क्रियान्वयन के लिए प्रणालियां विकसित करना; और प्रभावशाली कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल का प्रशिक्षण देना।

हमने पिछले वर्ष जून में वित्तीय कृतिक कार्यबल (एफ.ए.टी.एफ.) की सदस्यता ली थी। यह धन-शोधन प्रतिषेध हेतु जी-20 की एक महत्वपूर्ण पहल है। हम वित्तीय ईमानदारी तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल, यूरोशियन समूह (ई.ए.जी.) तथा कर प्रयोजनार्थ पारदर्शिता एवं सूचना के आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक फोरम में भी शामिल हुए हैं।

इस वर्ष हमने 10 मौजूदा दोहरे कराधान परिवर्जन करारों के प्रावधानों के संशोधन सहित 11 कर सूचना आदान-प्रदान करार (टी.आई.ई.ए.) और 13 नए दोहरे कराधान परिवर्जन करारों (डी.टी.ए.ए.) पर विचार विमर्श किया है। कर सूचना के आदान-प्रदान तथा मूल्य निर्धारण अंतरण सम्बन्धी मामलों पर प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विदेशी कर प्रभाग को सुदृढ़ किया गया है। इस मामले पर कार्य करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान हेतु, एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है।

हमारे धन शोधन विधान में 2009 में संशोधन ने इसके अधिकार-क्षेत्र तथा अनुप्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इस कानून के तहत वर्ष 2005 से 2008 तक दर्ज मामलों की संख्या 50 थी, जो इस वर्ष के जनवरी माह तक बढ़कर 1200 तक जा पहुंची है। बढ़े हुए कार्यभार से बखूबी निबटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कर्मचारी संख्या बढ़ाकर तीन गुनी कर दी गयी है।

वित्त मंत्रालय द्वारा बेहिसाबी आय और देश के बाहर एवं देश में रखे गए धन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया गया है। यह इस धन पर कर लगाने एवं इस धन को देश में वापस लाने के तौर-तरीके सुझाएगा।

स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार भी काले धन का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस अवैध व्यापार और मनो-चिकित्सीय पदार्थों के निवारण नियंत्रणों को कठोर बनाने के लिए, मैं निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

III. समावेशी सुदृढीकरण

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक नीति में प्रमुख दिशापरक परिवर्तन किया है। व्यक्ति के काम के अधिकार के लिए विधिक हकदारियों के सृजन ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समुत्थान शक्ति और उर्जास्विता दोनों को संचरित किया है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सशक्तीकरण के वे प्रभावशाली हथियार हैं जिनसे हमारे वह सामाजिक असन्तुलन अवश्य दूर होंगे। देश ने भूख और कुपोषण को बहुत झेला है। राज्य सरकारों सहित सभी पण्यधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एन.एफ.एस.बी.) को अंतिम रूप देने वाले हैं। इसे इस वर्ष शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र में 1,60,887 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष में 17 फीसदी अधिक है, यह कुल आयोजना आबंटन का 36.4 प्रतिशत बैठता है।

भारत निर्माण

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के फ्लैगशिप योजनाएं समावेशी विकास के इसके एजेंडे को लागू कराने के मुख्य साधन रही हैं। भारत निर्माण के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण/विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलीफोनी सम्मिलित हैं। वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण को कुल मिलाकर, 58,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह मौजूदा वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए अधिक है। देश में सभी 250,000 पंचायतों को तीन वर्ष में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.नरेगा)

100 रुपए की वास्तविक दैनिक मजदूरी दिलाने के बारे में मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने एम.जी. नरेगा के तहत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। इससे 14 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी बढ़ गई है। इसके चलते देश भर में फैले लाभार्थियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की रीढ़ है। मैं प्रसन्नतापूर्वक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तथा 750 रुपए से 1,500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। यह 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। पूरे देश में करीब 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय उपयोजना

बजट 2011-12 में, पहली बार अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजातीय उप-योजना के लिए विशिष्ट आबंटन निर्धारित किए जा रहे हैं। इन्हें संगत मंत्रालयों तथा विभागों के बजट में पृथक लघु लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, मैं जनजातीय वर्गों के लिए 2010-11 में किए गए 185 करोड़ रुपए के बजट आबंटन को बढ़ाकर 2011-12 में 244 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षा

विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत युवा आबादी का हमारा "जनसांख्यिकी लाभांश" चुनौती से कहीं बढ़कर एक अवसर है। 2025 में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय काम-काजी आयु के होंगे। इस संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनाने, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों की प्रतिशतता को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। मैं शिक्षा के लिए 52,057 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ जो मौजूदा वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

सर्वशिक्षा अभियान

बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के मौजूदा संचालन संबंधी मानकों को संशोधित किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2010 से लागू है। वर्ष 2011-12 के लिए, मैं 21,000 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। यह 2010-11 के बजट में किए गए 15,000 करोड़ रुपए के आबंटन से 40 प्रतिशत अधिक है। 'माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण' नामक एक संशोधित केन्द्र प्रायोजित योजना हमारे युवाओं में रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु 2011-12 से कार्यान्वित की जाएगी।

सशक्तीकरण शिक्षा से जन्म लेता है। संयुक्त प्रगतिशील

गठबंधन सरकार ने जहां मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की पहुंच को भी सुगम बनाया है, वहीं अभी तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में अभाव सा चल रहा था। वर्ष 2011-12 में, मैं नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तकरीबन 40 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

मार्च, 2010 में अनुमोदित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन.के.एन.), ऑप्टिकल फाइबर आधार रेखा के जरिए 1500 उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को जोड़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 190 संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चूंकि आधार मार्च, 2011 तक तैयार होगा, अतः सभी 1500 संस्थानों को मार्च, 2012 तक कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा सकेगी।

नवाचार

अनुसंधान एवं विकास के औपचारिक प्रतिमान से बाहर निकलने के लिए, भारत में नवाचारों के सूत्रपात के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से श्री सैम पित्रोदा के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नवाचार परिषद गठित की गई है। इसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में राज्य नवाचार परिषदें तथा केंद्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध क्षेत्रीय नवाचार परिषदों के गठन की प्रक्रिया जारी है।

विश्वविद्यालयों तथा अकादमियों संस्थाओं में उत्कृष्टता को स्वीकार करने हेतु सरकार विशेष अनुदान मुहैया कराती रही है। 2011-12 के लिए, मैं निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं:-

- पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लापुरम में स्थित किए जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के प्रत्येक भावी केंद्र को 50 करोड़ रुपए;
- पुकोड, केरल में केरल पशुचिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान;
- महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

के कोलकाता तथा इलाहाबाद में केंद्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपए; मुझे उम्मीद है कि इससे हिन्दी जन-जन तक पहुंचेगी।

- एकबारगी अनुदान के रूप में आई.आई.टी., खड़गपुर को 200 करोड़ रुपए;
- राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास केंद्र, श्रीपेरुम्बुदूर तमिलनाडु के लिए 20 करोड़ रुपए;
- आई.आई.एम., कोलकाता को उनकी वित्तीय अनुसंधान एवं व्यापार प्रयोगशाला की स्थापना में सहायता हेतु 20 करोड़ रुपए;
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए 200 करोड़ रुपए;
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एण्ड रतन टाटा लाइब्रेरी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के लिए 10 करोड़ रुपए; और
- मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए 10 करोड़ रुपए।

कौशल विकास

मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन.एस.डी.सी.) 15 करोड़ कुशल श्रमिकों के सृजन सम्बन्धी अपना अधिशेष नियत लक्ष्य वर्ष, 2022 से दो वर्ष पहले प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। यह कुल 658 करोड़ रुपए के वित्तपोषण से 26 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत कर चुका है। यह उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से ही अगले दस वर्षों में 4 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिक तैयार कर किए जाएंगे। चालू वर्ष में, 20,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण दिलाया गया है। इनमें से, 75 प्रतिशत रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। अगले वर्ष, मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए मुहैया कराऊंगा।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती मनाने के राष्ट्रीय समारोह 7 मई, 2011 से नई दिल्ली में शुरू होंगे। यूरोप, अमरीका और एशिया के कई देशों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत-बांग्लादेश समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में अनेक उत्सव आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में विश्व-बन्धुत्व के मूल्यों के संवर्धन के लिए 1 करोड़

[श्री प्रणब मुखर्जी]

रुपए का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, मैं 2011-12 में आयोजना व्यय को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 26,760 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। गरीब और सीमान्त मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया कराने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर साधन बनकर उभरी है। अब इसका विस्तार एम.जी. नरेगा लाभार्थियों, बीड़ी कामगारों तथा अन्य तक किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में, मैं जोखिम भरे खनन तथा स्लेट और स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, माइका और एसबेस्टेस आदि सम्बद्ध उद्योगों में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय समावेशन

मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में बैंकों को मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने की सलाह दी थी। बैंकों ने समुचित प्रौद्योगिकी की इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ऐसी 73,000 बस्तियों को अभिचिन्हित किया है। लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए सूचित, शिक्षित व अभिप्रेरित करने हेतु एक मल्टी मीडिया अभियान "स्वाभिमान" शुरू किया गया है। इस वर्ष के दौरान बैंक 20,000 गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। शेष 50,000 गांवों को 2011-12 में शामिल कर लिया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र

मैंने, बजट 2010-11 में, "स्वावलंबन" नामक एक सह-अंशदायी पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा इस स्कीम का स्वागत किया गया है। अब तक, 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मैं निकास मानकों में छूट दे रहा हूँ जिसके द्वारा स्वावलंबन के अन्तर्गत किसी भी अंशदाता में 60 वर्ष के बजाय 50 वर्ष, या 20 वर्ष को न्यूनतम अवधि, इनमें से जो भी परवर्ती हो, के बाद निकासी की अनुमति होगी। मैं, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान स्वावलंबन योजना में नामांकित हो चुके सभी अंशधारकों को तीन से पांच वर्षों तक सरकारी

अंशदान का फायदा देने का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा कि अनुमान है, मार्च, 2012 तक 20 लाख लाभार्थी इस स्कीम में शामिल होंगे।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभार्थियों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है। जो 80 वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, मैं उनके लिए पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

वन

वनों का संरक्षण तथा वनरोपण का परिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। हमारी सरकार ने दस वर्षीय भारत मिशन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की है। वर्ष 2011-12 में इसका क्रियान्वयन शुरू करने के लिए, मैं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रुपया आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पर्यावरणीय प्रबंधन

पर्यावरणीय प्रदूषण देशभर में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में उभरा है। मैं, पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए 2011-12 में केंद्र के अंशदान के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 200 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

नदियों तथा झीलों की सफाई

राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के तहत, 2010-11 में कई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व की कई नदियां और झीलें हैं जिनकी सफाई किए जाने की जरूरत है। वर्ष 2011-12 में, मैं, गंगा नदी को छोड़कर, कुछ महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई हेतु 200 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कुछ अन्य पहल

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ाने हेतु, 2011-12 के लिए विशेष सहायता का आवंटन लगभग दुगुना करके 8000 करोड़ रुपए किया

गया है। इसमें से, 5,400 करोड़ रुपए मुक्त विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में जम्मू-कश्मीर को 28,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वर्ष में लगभग 8,000 करोड़ रुपए विकासात्मक जरूरतों के लिए दिए गए हैं। राज्य के लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों में 24 माह के भीतर समाधान किए जा सकने वाली अवसंरचनात्मक जरूरतों के निर्धारण के लिए बने कार्यदल ने क्रमशः 416 करोड़ रुपए और 497 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सिफारिश की है। मैं, 2011-12 में इन चिन्हित परियोजनाओं हेतु लद्दाख के लिए 100 करोड़ रुपए तथा जम्मू के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत किए गए 7,300 करोड़ रुपए के आवंटन को 35 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 9,890 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए, दिसम्बर 2010 में 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) शुरू की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए के 100 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान के साथ कार्यान्वित की जा रही है। आवंटित निधियां जिला स्तर की समितियों के नियंत्रण में रखी जाती हैं जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वामपंथी अतिवाद का मुकाबला करने में लगे केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों द्वारा दी गई शहादत के सम्मान में, 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 9 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति अब रक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों के उन कर्मियों को मंजूर की जाएगी जो सरकारी सेवा में आई अथवा हुई विकलांगता के कारण विकित्सा के आधार पर नौकरी से निवृत्त हो जाते हैं। 20 से 99 प्रतिशत तक विकलांगता वाले कर्मियों को अनुपातिक राशि दी जाएगी।

बजट 2011-12 में, रक्षा सेवाओं के लिए, 1,64,415 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 69,199 करोड़ रुपए शामिल हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की रक्षा के लिए किसी भी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

न्याय देने में शीघ्रता लाने के लिए, न्याय विभाग के 2011-12 के आयोजना प्रावधान में तिगुनी वृद्धि करके इसे 1,000 करोड़ रुपए किया गया है। इस बढ़े हुए प्रावधान से कानूनी अवसंरचना निर्माण तथा ई-न्यायालय संबंधी परियोजना निर्माण कार्य में मदद मिलेगी।

जनगणना 2011

देश में 15वीं जनगणना 9 फरवरी से आरंभ हो गयी है। यह देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिससे जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंड संबंधी सांख्यिकी आंकड़े प्राप्त होते हैं।

जनगणना 2011 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, जातियों की गणना करने की जबर्दस्त मांग की अनुक्रिया में यह निर्णय लिया गया है कि 'जाति' की गणना के लिए एक पृथक समयबद्ध कवायद की जाएगी। यह जून 2011 में शुरू होगी और 30 सितम्बर 2011 तक पूरी हो जाएगी।

IV. शासन में सुधार

अब मैं शासन में सुधार हेतु किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों की तरफ आता हूँ।

यू.आई.डी. मिशन

यू.आई.डी. मिशन की शुरुआत हो चुकी है तथा बड़ी संख्या में आधार नंबर सृजित किए जा रहे हैं। अब तक, 20 लाख आधार नंबर दिए गए हैं और 1 अक्टूबर, 2011 से प्रतिदिन 10 लाख नंबर सृजित किए जाएंगे। विभिन्न स्कीमों के अभिशासन में सेवा सुपुर्दगी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए आधार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अब रास्ता तैयार है।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

एक कारगर कर प्रशासन का आधार एक मजबूत आई.टी. अवसंरचना और वर्धित करदाता सेवाओं के लिए उसका विस्तार किया जाना होता है। मुझे इस सम्माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.), दोनों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- आयकर विवरणी ऑन-लाइन पर तैयार और प्रस्तुत करना, 32 एजेंसी बैंकों के माध्यम से करों का

[श्री प्रणव मुखर्जी]

ई-भुगतान, करदाताओं के बैंक खातों में सीधे (धन) वापसी के इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और टी.डी.एस. विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु ई.सी.एस. सुविधा अब देशभर में उपलब्ध है। इन उपायों से करदाता आयकर कार्यालय में जाए बिना, अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियां पूरा करने में समर्थ हुए हैं।

- बंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (सी.पी.सी.) ने 2010-11 में अपनी दैनिक प्रोसेसिंग क्षमता 20,000 विवरणियों से बढ़ाकर 1.5 लाख विवरणियां कर दी हैं। इस परियोजना ने 2011 में ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। मई 2011 तक और दो सी.पी.सी. मानेसर और पुणे में कार्य करना शुरू कर देंगे तथा चौथा सी.पी.सी. 2011-12 में कोलकाता में स्थापित किया जाएगा।
- सी.बी.ई.सी., अपनी आई.टी. समेकन परियोजना पूरी हो जाने से, अब अपने मुख्य अनुप्रयोग केंद्रीय रूप से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर में व्यवस्थित कर सकता है। सीमा-शुल्क की ई.डी.आई. प्रणाली अब देशभर में 92 स्थानों में काम कर रही है। सी.बी.ई.सी. के ई-कॉमर्स पोर्टल 'आईसगेट' को भी ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- दोनों बोर्डों द्वारा 'सेवोत्तम' की संकल्पना अपनाई गई है। सी.बी.डी.टी. के तहत आयकर सेवा केंद्रों की तीन प्रायोगिक परियोजनाओं ने लम्बा रास्ता तय किया है। सी.बी.डी.टी. इस वर्ष और आठ ऐसे केंद्र चालू करेगा। 2011-12 में देशभर में 50 आयकर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सी.बी.ई.सी. ने भी इसी प्रकार के उपाय किए हैं और उनकी प्रायोगिक परियोजनाओं में से चार शुरू की गई हैं।
- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण मजबूती प्राप्त कर चुका है। बोर्ड शीघ्र ही उन वेतनभोगी करदाताओं की श्रेणी अधिसूचित करेगा जिन्हें आय का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होगा क्योंकि उनकी कर संबंधी देयता का निर्वहन उनके नियोक्ता

द्वारा स्रोत पर कटौती के माध्यम से किया जा चुका है।

- सी.बी.डी.टी. करदाताओं को आयकर विभाग के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए एक पृथक वेब-आधारित सुविधा मुहैया कराएगा ताकि करदाता अपनी वापसी राशि और पूर्व प्रदत्त करों के बकाया के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकें तथा उनके निराकरण की स्थिति पता कर सकें।

मैंने अपने पिछले बजट में, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर को शुरू कर सकेंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 31 परियोजनाओं हेतु निधियां जारी की गई हैं। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने डीलरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किए जाने की सुविधा मुहैया कराई है। कई राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक कर विवरणी स्वीकार करना और अंतर राज्य व्यापार के लिए अपेक्षित फॉर्म जारी करना शुरू कर दिया है।

अर्थव्यवस्था के विकास के चलते, पिछले वर्षों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। मैं इस अधिनियम में संशोधन के लिए जल्द ही एक विधेयक ला रहा हूँ।

पांच वर्ष पहले, हमने देश में एक आधुनिक और जनता के अनुकूल ई-स्टाम्पिंग सुविधा शुरू करने की पहल की थी। अब तक, केवल 6 राज्यों ने ही इस प्रणाली की शुरुआत की है। मैं, राज्यों को उनके स्टाम्प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण तथा अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में ई-स्टाम्पिंग पहुंचाने के लिए सहायता देने हेतु 300 करोड़ रुपए के परिव्यय से नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं, ऐसे छोटे करदाताओं, जो संभावित कराधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं का अनुपालन भार कम करने के लिए एक नया सरलीकृत विवरणी प्रपत्र 'सुगम' की शुरुआत का प्रस्ताव करता हूँ।

समझौता आयोगों द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी से, कई करदाताओं को राहत मिली है। इससे इस आयोग के कार्यभार में भी वृद्धि हुई है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, इस आयोग की और तीन पीठ स्थापित की जा रही हैं।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में राजस्व की अच्छी खासी राशि विभिन्न स्तरों पर अपीलों में फंसी रहती है। दोनों बोर्ड भी अपने कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी में बहुत अधिक प्रयास करते हैं और धन लगाते हैं। राष्ट्रीयवाद नीति को ध्यान में रखते हुए मुकदमों में कमी लाने तथा उच्च राजस्व वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2010-11 में अनेक कदम उठाए गए हैं। कर प्रभावों की सीमा बढ़ाने के अनुदेश जारी किए गए हैं। उक्त सीमा से कम कर वाले विवाद सरकार द्वारा उच्चतर अपील न्यायालयों में नहीं ले जाए जाएंगे। इन उपायों से राजस्व जुटाने में लगाए गए संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए, एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केंद्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रणाली से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है। यह समूह समयबद्ध तरीके से में अपनी सिफारिशें देगा।

निष्पादन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने सरकारी विभागों की उनके अधिदेशित कार्यों के संबंध में कार्यक्षमता के मूल्यांकन के लिए एक निष्पादन मानीटरिंग मूल्यांकन प्रणाली (पी.एम.ई.एस.) स्थापित की है। इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा एक रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना शामिल है जिसमें वित्त वर्ष के लिए इसके उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं एवं वर्ष की समाप्ति पर पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्यों के मुकाबले हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। यह दस्तावेज जनता के सूचनार्थ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रथम चरण में इस प्रणाली (पी.एम.ई.एस.) के अंतर्गत 62 विभागों को शामिल किया गया है।

टैगप

मैंने, 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में एक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स (टैगप) का गठन किया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी सिफारिशें सिद्धान्ततः

स्वीकार कर ली गई हैं। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय रुपए का अब एक नया प्रतीक चिन्ह है जिसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, कारोबारी कंपनियों और आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस प्रतीक चिन्ह के अंकन वाली सिक्कों की नई शृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इस प्रतीक चिन्ह को शामिल करने के लिए यूनिकोड स्टैण्डर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया है।

V. बजट अनुमान 2011-12

अब, मैं 2011-12 के बजट अनुमानों पर आता हूँ।

सकल कर राजस्व प्राप्तियों के 9,32,440 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2010-11 के बजट अनुमानों से 24.9 प्रतिशत अधिक हैं। राज्यों को अंतरित किए जाने के बाद, 2010-11 में केंद्र का निवल कर 6,64,457 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 के लिए कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 1,25,435 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रुपए है। यह वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों से 13.4 प्रतिशत अधिक है। व.अ. 2010-11 की तुलना में आयोजना व्यय 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 4,41,547 करोड़ रुपए तथा आयोजना-भिन्न व्यय 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 8,16,182 करोड़ रुपए है। चूंकि वर्ष 2011-12 ग्यारहवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि ग्यारहवीं योजना व्यय सामान्यतः इस योजना अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय के 100 प्रतिशत से भी अधिक है। इस देश में योजना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है।

वर्ष 2011-12 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले 2,01,733 करोड़ रुपए के कुल आयोजना तथा आयोजना-भिन्न अंतरणों में बजट अनुमान 2010-11 की तुलना में 23 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। इसमें तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दी गई संस्तुति के अनुसार स्थानीय निकायों को वर्ष 2011-12 में दिए जाने वाले 13,713 करोड़ रुपए के अनुदान भी शामिल हैं।

माननीय सदस्यों का पता है कि मुझे, 3जी स्पैक्ट्रम नीलामियों से प्रत्याशित कर-भिन्न राजस्व अधिक मिलने के कारण, वर्ष 2010-11 में राजकोषीय संतुलन में और सुधार

[श्री प्रणब मुखर्जी]

करने का मौका मिला था। मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ मैंने महत्वपूर्ण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों के लिए तथा सब्सिडियों पर व्यय भी पूरा करने के लिए, 50,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं, वही मैंने वर्ष 2010-11 में वित्तीय घाटा स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत से कम करके 5.1 प्रतिशत किया है। वर्ष 2011-12 के लिए, मैंने इसे स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत पर रखा है। यह पिछले बजट में प्रस्तुत राजकोषीय रूप-रेखा में इंगित वर्ष 2011-12 के मेरे स्वयं के लक्ष्य में हुए सुधारों को दर्शाता है। सदन में आज ही प्रस्तुत किए जा रहे मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में, राजकोषीय घाटे के चलायमान लक्ष्यों को वर्ष 2012-13 के लिए 4.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 के लिए 3.5 प्रतिशत रखा गया है।

अर्थव्यवस्था के वैश्विक संकट के दौर के बाद सरकार के राजस्व घाटे की अप्रिय स्थिति पर चिंता प्रकट की गई है। राजस्व घाटा, वर्ष 2010-11 में 4 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में, स.घ.उ. का 3.4 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को अंतरण तथा अन्य विकासात्मक व्यय काफी बढ़ गया है। इन्हें राजस्व व्यय के नाम से वर्गीकृत किया जाता है, हालांकि इन अंतरणों का अच्छा खासा भाग पूंजीगत व्यय की प्रकृति का होता है। वर्ष 2010-11 में, ऐसे राजस्व व्ययों से 90,792 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय की प्रकृति के थे। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान 1.47 लाख करोड़ रुपए है। इन्हें अब बजट दस्तावेजों में अलग से दर्शाया जाता है। इन बजट प्रावधानों के मद्देनजर, "प्रभावी राजस्व घाटा" 2010-11 और 2011-12 के संशोधित अनुमानों में क्रमशः 2.3 प्रतिशत एवं 1.8 प्रतिशत अनुमानित है।

भाग-ख

माननीय अध्यक्ष महोदया,

मैं, अब, अपने कर प्रस्ताव पेश करता हूँ।

इन प्रस्तावों को तैयार करते समय, मेरी प्राथमिकताएं करों को उदार, करदाताओं के लिए भुगतान सहज और कर समाहर्ता के लिए कर-संग्रहण आसान बनाने की हैं।

VI. प्रत्यक्ष कर

अध्यक्ष महोदया, मैं अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

चूंकि प्रत्यक्ष दरों पर सरकार की नीति की रूप-रेखा प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) में दी गई है जो संसद के सक्षम है, इसलिए इस उपायों के मेरे प्रस्ताव सीमित हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष मैंने कर स्लैबों को व्यापक बनाकर व्यक्ति करदाताओं को राहत प्रदान की थी। डी.टी.सी. दरों के आस-पास रहते हुए, मैं वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा इस वर्ष 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से इस श्रेणी के हर करदाता को 2,000 रुपए की एक समान कर राहत मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिक हमारे विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र हैं। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि:

- अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करना;
- छूट सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए करना;
- बहुत वरिष्ठ नागरिकों, 80 वर्ष एवं उससे अधिक, की एक नई श्रेणी सृजित करना जो 5,00,000 रुपए की उच्चतर छूट सीमा की हकदार होगी। मैं अभी 80 वर्ष का नहीं हुआ हूँ, 80 तक पहुंचने में मुझे अभी कई वर्ष लगेंगे।

कारपोरेट्स की स्थिति में, अधिभारों को चरणों में समाप्त करने की मेरी पहल जारी है। मैं, घरेलू कंपनियों पर लागू 7.5 प्रतिशत के अधिभार को घटाकर, 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, मैं न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की विद्यमान दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर बही लाभ का 18.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि मैट की प्रभावी दर इसी स्तर पर बनायी रखी जा सके। निगम कर देनदारियों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में, मैं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत यूनितों पर मैट लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि:

- अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि के रूप में विशेष साधनों का सृजन किया जाए;
- इन निधियों के उधारों पर विषय संबंधी ब्याज पर 20 प्रतिशत की आस्थगन कर दर (विदहोलिडिंग टैक्स रेट) को घटाकर 5 प्रतिशत करना; और

- निधि की आय को कर-मुक्त करना।

बचतों को प्रोत्साहित करने और अवसंरचना के लिए निधियां जुटाने के लिए, केंद्र सरकार ने 2010-11 में दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों में निवेश हेतु 20,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अधिसूचना जारी की थी।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): आप महिलाओं को भूल गए...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अन्य क्षेत्रों में मैंने उन्हें लाभ दिया है, परन्तु कर के मामले में नहीं करता हूँ।

मैं इसे और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

यह निवेदन किया गया है कि निवासी करदाताओं के हाथ में विदेशी लाभांशों का पूरी दर पर कराधान भारत में उनके प्रत्यर्पण के लिए प्रोत्साहनजनक नहीं है तथा वे विदेश में निवेश करते रहते हैं। वर्ष 2011-12 हेतु, मैं भारतीय कंपनी द्वारा उसकी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांशों पर 15 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है, ये निधियां अब भारत में आएंगी।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मैं, उर्वरकों का उत्पादन कर रहे व्यवसायों को निवेश से संबंधित कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

आवास के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं अधिसूचित स्कीम के तहत वहनीय आवास बनाने में लगे व्यवसायों को भी निवेश आधारित कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

नवाचार के इस दशक में, मैंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए जाने वाले भुगतानों पर की जाने वाली भारित कटौती बढ़ाकर पिछले बजट में 175 प्रतिशत की थी। मैं इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विदेशी कर क्षेत्राधिकार से सूचना संग्रहण की अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, मैं गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, के साथ कारोबार को हतोत्साहित करने हेतु प्रतिरोधी उपायों के एक टूलबॉक्स की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष 11,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व घटा होगा।

अध्यक्ष महोदया, समय पर समाप्त करने की चिंता में दो पैराओं 137 और 138 को पढ़ना भूल गया था, अतः मैं आपसे उन दो छोटे-छोटे पैराओं को पढ़ने की अनुमति मांगता हूँ। इनका कर से कोई संबंध नहीं है।

मैंने, अपने पिछले बजट में यह बताया था कि सरकार तेल तथा उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के एवज में बांड जारी करने से बचेगी। मैंने इसका पालन किया है। ऐसा करके सभी सब्सिडी सम्बन्धी देनदारियों को अपने राजकोषीय हिसाब-किताब में लिया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं राजकोषीय घाटा कम करने के लिए बांड का कवरेज नहीं ले रहा हूँ।

2011-12 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत की दर पर 4,12,817 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेवार अन्य विभिन्न वित्तीय मदों को ध्यान में रखते हुए, 2011-12 में सरकार का निवल वास्तविक बाजार उधार 3.43 लाख करोड़ रुपए होगा। इस उधार का एक हिस्सा, लगभग 15,000 करोड़ रुपए ट्रेजरी बिलों के जरिए वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केंद्रीय सरकार का ऋण वर्ष 2011-12 के लिए 44.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 52.5 प्रतिशत सुझाया गया है।

VII. अप्रत्यक्ष कर

मैं, अब अपने अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूँ।

वर्ष 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में द्रुत वृद्धि को देखते हुए, मेरे पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करके उसी स्तरों पर लाने का विकल्प था, जो नवम्बर, 2008 में विद्यमान थे। मैंने दो कारणों से इसे नहीं चुना है। मैं बेहतर कारोबार लाभों को उच्चतर निवेश दरों में परिवर्तित होते देखना चाहता हूँ। मैं वस्तु एवं सेवा कर अपनाने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहता हूँ। अतः मैंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर 10 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

मैं, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए जमीन तैयार करने हेतु कई छूटों में कटौती से शुरुआत करके केंद्रीय उत्पाद दर की संरचना में कतिपय परिवर्तन

[श्री प्रणब मुखर्जी]

करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, ऐसी लगभग 100 वस्तुएँ हैं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ राज्य के वैट से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, 370 वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है किन्तु वैट लगता है। मैं, इन वस्तुओं में से 130 वस्तुओं पर मिली छूट को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। ये वस्तुएँ मुख्यतः उपभोक्ता वस्तु स्वरूप की हैं। शेष 240 वस्तुओं को, वस्तु एवं सेवा कर के आस्तित्व में आने के बाद, कर के दायरे में लाया जाएगा।

कर के दायरे में आने वाली 130 वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का नाममात्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। इन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए, सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। बुनियादी खाद्य और ईंधन को छूट मिलती रहेगी। यह शुल्क बहुमूल्य धातुओं तथा रत्नों पर भी लागू नहीं होगा। आभूषण और स्वर्ण, चांदी एवं मूल्यवान धातुओं से बनी वस्तुओं के मामले में, यह लेवी केवल ब्रांड नाम से बेचे जाने वाली वस्तुओं पर लागू होगी।

अधिकांश राज्यों ने अपनी वैट की पात्रता दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इसी के अनुरूप, मैं भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सबसे कम दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

तैयार वस्त्र और कपड़े से बनी वस्तुएँ इस समय वैकल्पिक उत्पाद शुल्क प्रणाली के अधीन आती हैं। यदि कोई विनिर्माता सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है, तभी उसे शुल्क अदा करना पड़ेगा। हमारा वस्त्र और कपड़े की वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योग ने लम्बी यात्रा तय की है और हाल के वर्षों में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई है। आधार विस्तार के भाग के रूप में, मैं वैकल्पिक लेवी को 10 प्रतिशत की एक समान दर पर अनिवार्य लेवी में बदलने का प्रस्ताव करता हूँ। हालांकि, यह लेवी केवल ब्रांडेड वस्त्रों अथवा वस्तुओं पर लागू होगी और खुदरा ग्राहक के लिए दर्जी से अथवा आर्डर देकर बनवाए गए वस्त्रों अथवा वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं तथा निविष्टि सेवाओं पर प्रदत्त कर का क्रेडिट इन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस उद्योग के खंडित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इन उत्पादों को पूरी एस.एस.आई. छूट भी दी जा रही है। इन वस्तुओं का निर्यात, शून्य शुल्क दर पर जारी रहेगा।

आसियान देशों में विद्यमान सीमा शुल्क की दरों के अनुरूप, अपनी भी सीमा शुल्क दरें निश्चित करने की हमारी दीर्घावधिक प्रतिबद्धता रही है। सीमा शुल्क की सर्वोच्च दर पिछले वर्षों में कम की गयी है तथा 10 प्रतिशत पर निश्चित की गई है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं को देखते हुए, मैं इसकी सर्वोच्च दर इसके विद्यमान स्तर पर ही रखना चाहता हूँ। तथापि, 2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की तीन दरों को एकीकृत करके 2.5 प्रतिशत के मध्यम स्तर पर रखने के लिए कुछ यौक्तिकीकरण किया जा रहा है।

अब मैं उन प्रस्तावों पर आता हूँ जिनका लक्ष्य उन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

कृषि और संबंधित क्षेत्र

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले बजट में, मैंने कृषि उपज हेतु भण्डारण और भाण्डागारण सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाने तथा खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी।

मुझे इन उपायों के प्रभावों पर उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है। मैं निम्नलिखित उपायों द्वारा इन छूटों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ:

- शीतागारों की अवसंरचना हेतु वातानुकूलन उपस्कर और रेफ्रिजरेशन पैनलों पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देना; और
- शीत भंडारों, मंडियों और भाण्डागारों में प्रयुक्त उपस्कर में उत्पाद शुल्क से पूरी छूट में कन्वेयर बेल्टों को शामिल करना।

पिछले बजट में विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर दी गई थी। इस शुल्क में और कटौती करके इसे 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है और यह रियायत ऐसी मशीनरी के कल-पुर्जों पर भी दी जा रही है ताकि उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

लघु-सिंचाई, विशेषकर शुष्क भूमि में खेती के लिए सिंचाई का एक पर्यावरण अनुकूल और सक्षम साधन है। मैं, लघु सिंचाई के उपस्कर पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

तेल निकाली गई धान की भूसी की खली पशु चारे का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसकी बेहतर उपलब्धता का दुग्ध उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। मैं इस वस्तु को बुनियादी शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, इसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया जाएगा।

विनिर्माण सेक्टर

विनिर्माण क्षेत्र के लिए, मेरे प्रस्तावों में आयातों की अपेक्षा घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने, शुल्क प्रतिलोमन और विसंगतियों को दूर करने तथा घरेलू उद्योग को बराबरी के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

- कच्चे रेशम (बिना धुना हुआ) पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;
- कतिपय कपड़ा अन्तर्वर्ती वस्तुओं तथा रसायनों हेतु अन्तर्धारितों, लौह मिश्रधातु और कागज पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना;
- कतिपय तकनीकी फाइबर और धागे (यार्न) के विनिर्माण में प्रयुक्त कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;
- स्टेनलेस स्टील स्क्रैप को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट देना;
- सिरिजों और सुइयों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत बुनियादी और 4 प्रतिशत सी.वी.डी. करना;
- मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों, अवयवों और सहायक यंत्रों को उपलब्ध रियायत को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाना तथा कुछ और वस्तुओं को इसके दायरे में शामिल करना;
- विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों, जो बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं, के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री की सूची में विस्तार करना; और
- इंक-जेट और लेजर-जेट प्रिंटरों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क (और अब से सी.वी.डी.) 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

लौह अयस्क पर पिण्डों के मामले में 15 प्रतिशत और परिष्कृत के मामले में 5 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया जाता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मैं, सभी प्रकार के लौह अयस्क के लिए निर्यात शुल्क बढ़ाने और इसे 20 प्रतिशत यथामूल्य पर एक समान करने का प्रस्ताव करता हूँ। लौह अयस्क को मूल्य-वर्धित, गुटिकाओं के स्वरूप में निर्यात किया जाता है। परिष्कृत लौह धातु के लिए मूल्यवर्धन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क गुटिकाओं को निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

सीमेंट उद्योग को राहत के उपाय के रूप में, मैं, मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों के स्थान पर, मिश्रित दरों को लाने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें कुछ यौक्तिकीकरण सहित यथामूल्य और विशिष्ट घटक होंगे। इस उद्योग के दो अतिमहत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों अर्थात् पेटकोक और जिप्सम पर बुनियादी सीमाशुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

सरकार के वित्तीय समावेशन एजेन्डा को आगे बढ़ाने के लिए, मैं कैश डिस्पेन्सरों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इन मशीनों के पुर्जों को भी पूरी छूट दी जा रही है।

पर्यावरण

पिछले बजट में इलेक्ट्रिकल वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर वास्तविक-प्रयोक्ता आधार पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की 4 प्रतिशत की रियायती दर दी गई थी। मैं इस रियायत को इन विनिर्माताओं द्वारा आयातित बैटरियों पर बदलाव बाजार हेतु बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

ईंधन सैल अथवा हाइड्रोजन सैल प्रौद्योगिकी आटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक उदीयमान हरित प्रौद्योगिकी है। मैं, इस प्रौद्योगिकी पर आधारित वाहनों पर 10 प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

हाइब्रिड वाहनों पर 10 प्रतिशत की रियायती उत्पादन शुल्क दर लगती है, लेकिन उनके महत्वपूर्ण पुर्जों/सब एसेम्बलियों पर आयात की निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। यह प्रस्ताव है कि इन वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों को बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष सी.वी.डी. से पूरी छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त, उनके घरेलू उत्पादन को

[श्री प्रणब मुखर्जी]

प्रोत्साहित करने के लिए, 5 प्रतिशत की उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जा रही है।

हरित उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, एक प्लग-इन किट लगा कर जीवाश्म ईंधन वाहनों को हाइब्रिड वाहनों में बदलने हेतु, एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। मैं, इन किटों और उनके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पिछले बजट में, एल.ई.डी. लाइटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, उन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया था। इन लाइटों के मूल अवयव अर्थात् एल.ई.डी. पर 10 प्रतिशत का शुल्क (इसीलिए सी.वी.डी.) तथा 4 प्रतिशत का विशेष सी.वी.डी. लगता है। एल.ई.डी. पर उत्पाद शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है और विशेष सी.वी.डी. से पूरी छूट दी जा रही है।

सौर लालटेन की वजह से दूरवर्ती गांवों के हमारे देशवासियों को हरित प्रौद्योगिकी के घटनाक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी लालटेनों पर लगाए जाने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है। सौर मॉड्यूलों/सेलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ और पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर शून्य किया जा रहा है।

पर्यावरण संबंधी सोच-विचारों में ऐसे उत्पाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग की जाती है, जिनमें जल की खपत कम हों और मिट्टी के लिए नुकसान न हों। इस संबंध में कपड़ा धुलाई के साबुन के विनिर्माण में कूड पाम स्टीयरिन को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है।

चर्म उद्योग में टैनिंग-पूर्व अथवा टैनिंग प्रक्रियाओं में ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो प्रदूषण फैलाते हैं। हरित प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, टैनिंग-पूर्व प्रक्रियाओं के लिए एन्जाइन आधारित सामग्री को बुनियादी उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है।

अवसंरचना

मौजूदा मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर 2.5

प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा शुल्क लगता है और ये सी.वी.डी. से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं। इससे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं जिन्हें ऐसी परियोजनाओं संबंधी आपूर्तियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देना होता है, में असंतोष की भावना पनपती है। मैं एक समतुल्य उत्पादन शुल्क छूट देकर इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सड़कों के सतह निर्माण के लिए जैव-आधारित डामर एक नई हरित प्रौद्योगिकी है। जैव-आधारित डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसके उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट मशीनरी को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जा रही है। राजमार्गों के निर्माण में अपेक्षित सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट प्रदान की जा रही है।

अन्य प्रस्ताव

सार्वजनिक संग्रहालय अथवा राष्ट्रीय संस्था में प्रदर्शनी हेतु आयात की जाने वाली कलाकृतियों और पुरावशेषों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। हाल के वर्षों में, कई निजी संस्थाओं, अलाभकारी संगठनों और अन्य परम्परागत और समकालीन दोनों कलाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के कल्याणकारी कार्य में सम्मिलित हुए हैं। कुछ व्यक्ति विदेशों में भारतीय कला और पुरावशेषों की पारम्परिक कृतियों का पता लगाने और उन्हें वापस अपने देश में लाने में सक्रिय रहे हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं कला कृतियों और पुरावशेषों तथा निजी कलाकृति दीर्घाओं अथवा इसी प्रकार के आम जनता के लिए खुले परिसरों में प्रदर्शनी अथवा प्रदर्शन हेतु आयात के लिए इस छूट के कार्यक्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ। संस्कृति विभाग इस योजना का ब्यौरा अलग से अधिसूचित करेगा।

पोत मरम्मत इकाइयों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कल-पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई है। यह छूट पोत मालिकों द्वारा किए गए आयातों पर भी दी जा रही है।

वर्तमान में, 5 प्रतिशत का रियायती बुनियादी सीमा शुल्क और 5 प्रतिशत का सी.वी.डी. अखबार प्रतिष्ठानों द्वारा आयात किए जाने वाले हाई-स्पीड प्रिंटिंग प्रेसों पर लागू है, जिसे मेलरूम इक्विपमेंट के आयात पर भी दिया जा रहा है।

भारतीय फिल्म उद्योग ने अनुरोध किया है कि सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों के कलर, अनएक्सपोज्ड जम्बो रोल्स का विनिर्माण अपने देश में नहीं किया जाता है, इनका

आयात करना पड़ता है। मैं 400 फीट और 1000 फीट के जम्बो रोलस को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देकर सी.वी.डी. से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं कारखाना निर्मित एम्बुलेंसों के लिए उत्पाद शुल्क से मौजूदा रिफंड-आधारित रियायत के स्थान पर तत्काल रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। रिफंड-आधारित रियायत ऐसी टैक्सियों को उपलब्ध है जिनमें बैठने की क्षमता ड्राइवर सहित 7 व्यक्तियों से अधिक नहीं है। मैं यह रियायत ऐसे वाहनों को देने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें बैठने की क्षमता ड्राइवर सहित 13 व्यक्ति से अधिक नहीं है।

मैं निम्नलिखित कुछ अन्य राहत उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:

- कच्चे पिस्ता पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- अगरबत्ती के लिए बांस पर बुनियादी सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- होमियोपैथिक दवाओं के विनिर्माण के लिए लैक्टोज पर बुनियादी सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; और
- सैनिट्री नैपकिनों, बेबी और एडल्ट डायपरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष में 7,300 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

VIII. सेवा कर

अध्यक्ष महोदया, अब मैं सेवा कर पर आता हूँ।

सेवा कर के वास्तविक संग्रहण से इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का पता नहीं चलता है। सेवा कर की 10 प्रतिशत की मानक दर को बनाए रखते हुए, मैं वर्तमान सेवा कर प्रणाली और इसके उत्तरवर्ती वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में निम्नलिखित उपायों से तालमेल बैठाना चाहता हूँ:

- कराधार के विस्तार हेतु कर के दायरे में कुछ नई सेवाओं को लाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इसका प्रभाव पहले की तरह समाज

के ऐसे वर्गों पर हो जिनमें भुगतान करने की क्षमता हो;

- सेवा की मौजूदा श्रेणियों के कार्यक्षेत्र का उपयुक्त रूप से विस्तार करना और उसे युक्तियुक्त बनाना;
- सेवाओं के आयात और मूल्यांकन संबंधी कतिपय प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाना;
- इनपुट क्रेडिटों और आउटपुट कर के बीच अधिक वास्तविक संतुलन बनाने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं में योजना के उपबंधों में तालमेल बैठाने के लिए, सेनवैट क्रेडिट योजना के प्रावधानों में संशोधन करना;
- इस संदेश को पुष्ट करने के लिए दण्डात्मक प्रावधानों को युक्ति-संगत बनाना कि ईमानदार करदाताओं की मदद की जाएगी और चूककर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी; और
- ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में कराधान अंक नियमों को अपनाना जो कर संग्रह के सम्बन्ध में आधार को "नकद" से "उपचय" आधार की ओर ले जाएगा जैसा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में है।

मैं, निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ:

- होटल आवास 50 प्रतिशत की छूट के साथ जबकि यह 1000 रुपए प्रति दिवस के घोषित टैरिफ से अधिक है ताकि प्रभारित राशि के केवल 5 प्रतिशत का प्रभावी भार पड़े; और
- ऐसे एअर कंडीशन युक्त रेस्तराँओं को जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है, 70 प्रतिशत की छूट देना। इस प्रकार प्रभावी भार बिल का 3 प्रतिशत होगा।

मैंने 2010-11 में स्वास्थ्य परीक्षण अथवा उपचार पर सेवा कर लगाया था। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी लेवी से उन व्यक्तियों के मध्य विभेदक उपचार की शुरुआत हुई जो स्वयं भुगतान करते हैं और अन्य के सम्बन्ध में भुगतान किसी बीमा कम्पनी अथवा व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 25 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाले एअर कंडीशन की सुविधा युक्त अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सेवाओं पर कर लगाकर इसको

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। यद्यपि यह कर महंगे उपचार पर लगाया जाता है, मैं 50 प्रतिशत की छूट द्वारा इस अप्रिय स्थिति को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वास्तविक भार को सेवा मूल्य के 5 प्रतिशत पर रखा जा सके। साथ ही, मैं, इस लेवी को सभी प्रकार के नैदानिक परीक्षणों पर समान छूट की दर-सहित लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, सभी सरकारी अस्पताल इस लेवी से बाहर रहेंगे।

मैं इकॉनोमी श्रेणी द्वारा घरेलू हवाई यात्रा पर 50 रुपए और अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर 250 रुपए का सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं घरेलू क्षेत्र पर 10 प्रतिशत की मानक दर पर उच्च श्रेणियों द्वारा की गयी यात्रा पर कर लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि इसे उच्च श्रेणियों द्वारा की गयी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के समान स्तर पर लाया जा सके।

निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा मुहैया करायी गयी सेवाओं को भी, यूलिप की ही तर्ज पर, कर दायरे में लाने का प्रस्ताव है। मैं, विधि सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ और इस हेतु व्यावसायिक इकाइयों द्वारा व्यक्तियों को तथा प्रतिनिधि के रूप में व्यावसायिक इकाइयों को प्रदत्त की जाने वाली विवाचन सेवाओं के द्वारा व्यावसायिक इकाइयों को प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तथापि, व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रदत्त सेवाओं पर कोई कर नहीं लगेगा।

मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूँ। कतिपय सेवाओं के क्षेत्र में, मुख्यतः यौक्तिकीकरण अथवा विस्तार के जरिए, कतिपय अन्य परिवर्तनों अथवा मौजूदा खामियों को समाप्त करने की गुंजाइश है। मैं पुनः उनके विस्तार पर जाकर यहां सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा।

विश्वसनीय मूल्यवर्धित कर की मजबूती पिछले स्तर पर भुगतान किए गए कर क्रेडिट के मुक्त प्रवाह पर निर्भर करती है। जटिलताओं की वजह से, कई निविष्टियों अथवा निविष्टि सेवाओं के क्रेडिट की उपलब्धता पर कई कानूनी विवाद हैं। स्पष्ट परिभाषाओं की व्याख्या करके इन प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ताकि निविष्टियों तथा निविष्टि सेवाओं के क्षेत्र जो अर्हक हैं अथवा जो नहीं हैं, को स्पष्ट किया जा सके। छूट के लिए सेनवेट, क्रेडिट का आवंटन और कराधेय वस्तुओं तथा सेवाओं को भी सरल तथा कारगर बनाया जा रहा है।

सेवाकर में निर्धारितियों की संख्या कई गुना बढ़ी है। मेरा अनुभव है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति अथवा छोटे कारोबार वाले लघु प्रोप्राइटर हैं। वे अपने परिसरों की लेखा परीक्षा होने पर, लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान अपनी गतिविधियों अन्यत्र करने लगते हैं। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 60 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले सभी व्यक्तियों और एकल प्रोप्राइटर करदाताओं को लेखा परीक्षा की औपचारिकताओं से मुक्त रखा जाए। इससे बहुत से कर दाताओं को राहत मिलेगी। मैं, सभी ऐसे निर्धारितियों को भी जिनका कारोबार 60 लाख रुपए तक है, विलम्बित भुगतान पर ब्याज में 3 प्रतिशतांक का लाभ देना चाहता हूँ।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के हमारे दबाव को देखते हुए, सेवाकर के दण्डात्मक उपबन्धों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इस कार्ययोजना का एक महत्वपूर्ण संघटक उन लोगों पर अपेक्षाकृत कम कठोर कार्रवाई करना है जिन्होंने अपना रिकार्ड साफ-सुथरा रखा है लेकिन अपनी कर देयता के निष्पादन में वे कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। इसके साथ-साथ, जान बूझकर अपवंचन करने वाले लोगों पर, जो व्यावसायिक कारोबार रिकार्ड नहीं रखते हैं, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क कानूनों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन उपबन्धों का ब्यौरा वित्त विधेयक में दे दिया गया है।

सेवाकर से सम्बद्ध मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप इस वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

कई विशेषज्ञों का तर्क है लघु निषेधात्मक सूची पर आधारित सेवाओं पर कर लगाना वांछनीय होगा ताकि कई अनछुए क्षेत्रों को कर दायरे में लाया जा सके। ऐसा दृष्टिकोण सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरक होगा। मैं इस विषय पर सार्वजनिक बहस प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वस्तु एवं सेवाकर की अवधारणा को अन्तिम रूप दिया जा सके।

सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने से सम्बद्ध अधिसूचनाओं की प्रतियों को, यथा समय, सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मेरे प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के परिणामस्वरूप इस

वर्ष 11,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप, 11,300 करोड़ रुपए की निवल राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। इस प्रकार बजट में 200 करोड़ रुपए की निवल हानि रह जाती है। अतः मैंने कराधान के माध्यम से संसाधन जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, जिसकी आवाज विश्व में सुनी जाती है, इस दशक की दहलीज पर खड़ा है और जिसमें प्रचुर सम्भावनाएं हैं। हमें हाल के दबावों तथा तनावों के आड़े आने से बचना होगा ताकि ये सम्भावनाओं को वास्तविकताओं में बदलने में व्यवधान उत्पन्न न करें। हम सभी तहे दिल से ऐसे भारत का निर्माण करें जो निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश करेगा।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

अपराहन 12.50 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विवरण*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (एक) वृहत् आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;
- (दो) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण;
और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

अपराहन 12.50½ बजे

वित्त विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: वित्त विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जा चुका है।

सभा मंगलवार, 1 मार्च, 2011 को पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराहन 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 मार्च, 2011/
10 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाहन 11.00 बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-3913/15/2011

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 28-02-11 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।